कार्यालय, म. प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय
बहुमाध्यमीय क्षेत्रीय केन्द्र, आय.एम.एस. भवन, देवी अहिल्या वि.वि. परिसर, खण्डवा रोड़ – इन्दौर–452001, टेलीफोन–0731–2465689, ई–मेल– mpbhojuniversityrcindore@gmail.com, rddd02@gmail.com

जावक कमांक /608 /इन्दौरभोज/2022 दिनांक 15/03/2022

प्रति,

प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष/समन्वयक
बहुमाध्यमीय अध्ययन केन्द्र
म. प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय,
शासकीय /अशासकीय निर्भय सिंह पटेल विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर

जिला इन्दौर केन्द्र कोड 0219

विषय–: सत्र 2021.22 से प्रारम्भ अध्ययन केन्द्र की अनुबन्ध प्रति एवं पंजीयन प्रपत्र भेजने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं लेख है कि सत्र 2021–2022 से प्रारम्भ हुये म. प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम 1991 की धारा (viii) (xi) के प्रावधान के अंतर्गत परिनियम–11 अनुसार यह अनुबन्ध पत्र म. प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय कोलार रोड़ भोपाल द्वारा क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर के अन्तर्गत नवीन अध्ययन केन्द्र प्रारम्भ किया गया है। जिसमें प्रथम पक्ष म. प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय तथा द्वितीय पक्ष शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय से किये गये अनुबन्ध पत्र की एक मूल प्रति कुलसचिव महोदय के हस्ताक्षर उपरान्त तथा पंजीयन प्रपत्र आपकी ओर प्रेषित है। विश्वविद्यालय के आदेशानुसार अनुबन्ध पत्र की एक प्रति अध्ययन केन्द्र अपने पास संधारित करे।

संलग्न –: अनुबन्ध प्रति एवं पंजीयन प्रपत्र कुल 07 पेज

डॉ. सचिन शर्मा
क्षेत्रीय निदेशक

मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल

MPBOU

राजा भोज मार्ग चूनाभट्टी, भोपाल, (म. प्र.) Centre Code : 0219

महाविद्यालय से अनुबंध किये जाने हेतु पंजीयन प्रपत्र

कार्यक्रम दिनांक – ....

1.	महाविद्यालय का नाम	शासकीय निर्भय सिंह पटेल विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर
2.	महाविद्यालय का पता	ए.बी. रोड, भवँर कुआ, जीएससी केम्पस इन्दौर (म.प्र.) 452001
3.	प्राचार्य का नाम	डॉ. कुसुमलता निगवाल
	मोबाईल नं.	9425948499
4.	समन्वयक अधिकारी का नाम	डॉ. किर्ती तिवारी
	मोबाईल नं.	99262-80457
5.	महाविद्यालय का संपर्क सूत्र . फोन नं.	0731-2970017
	फैक्स नं.	–
	ईमेल	gnspscbhoj@gmail.com
6.	महाविद्यालय का खाता विवरण बैंक का नाम	जनभागीदारी मद भारतीय स्टेट बैंक
	खाता कमांक	35397148548
	आई.एफ.सी. कोड	SBIN0030467
7.	महाविद्यालय में संचालित पाठ्यकम (आवश्यक हो तो सूची संलग्न करें)	1. BSC Biology 2. B.SC Maths 3. B.SC Biotech 4. B.SC ComputorScience 5. B.C.A 6. M.SC Computer Science

हस्ताक्षर पद मुद्रा सहित

Govt. Nirbhay Singh Patel Science College
INDORE

Centre Code : 0219

"अनुबंध पत्र"

मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम 1991 की धारा (viii) (ix) के प्रावधान के अन्तर्गत परिनियम 11 के परिपालन में यह अनुबंध पत्र मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, कोलार रोड, भोपाल द्वारा अपने क्षेत्रीय केन्द्र Sagar के अन्तर्गत नवीन अध्ययन केन्द्र प्रारंभ करने के लिये दोनों पक्षों के मध्य किया जा रहाहै।

प्रथम पक्षः मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल

द्वितीय पक्षः शासकीय (परिशिष्ट 01 के अनुसार)/अशासकीय महाविद्यालय (प्रबंध मण्डल द्वारा अनुमोदित होने के उपरांत)

अनुबंध की शर्ते निम्नानुसार है:-

1. संस्था के प्राचार्य अध्ययन केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष के रूप में कार्य करेगें। प्राचार्य के त्यागपत्र देने या उनके स्थान पर अन्य व्यक्ति पदस्थ हो जाने पर नये प्राचार्य अध्ययन केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष के रूप में कार्य करेगें। पूर्व प्राचार्य को अध्ययन केन्द्र स्थापित करने की पात्रता तथा केन्द्राध्यक्ष के रूप में मान्य करने हेतु मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा। केन्द्राध्यक्ष अपने स्तर पर अपने सहयोग के लिये एक समन्वयक की नियुक्ति कर सकता है। जो महाविद्यालय में पदस्थ कोई वरिष्ठ प्राध्यापक स्तर का हो।

2. अध्ययन केन्द्र के संचालन के लिये, अध्ययन केन्द्र, मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय की ओर निम्नलिखित उन सभी कार्यो को संपादित करेगा जो मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर आवश्यकता एवं परिस्थिति वश संसूचित किये जायेगें।

(1) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया कर प्रवेश फार्म की प्रथम एवं द्वितीय प्रति सम्पूर्ण अभिलेखों सहित क्रमशः क्षेत्रीय केन्द्र और मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय के मुख्यालय में निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करते हुये प्रवेश फार्म की तृतीय प्रति को अपने अध्ययन केन्द्र में सम्पूर्ण अभिलेख सहित सुरक्षित रखेगें।

(2) मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय से प्राप्त अध्ययन सामग्री को विद्यार्थियों में वितरित कर यह सुनिश्चित करना की सभी प्रविष्ट विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री उपलब्ध हो गई। यदि नही हुई हो तो शीघ्र प्राप्त करने के लिये प्रयास करने का दायित्व अध्ययन केन्द्र का होगा, ताकि विद्यार्थियों को अध्ययन में किसी प्रकार का अवरोध न हो।

(3) शैक्षणिक सत्र में प्रत्येक विषय के 13 सैद्धांतिक कालखण्डों की तथा जिन विषयों में प्रायोगिक कार्य हो उनकी भी 13 कालखण्डों की प्रायोगिक सम्पर्क कक्षाऐं विश्वविद्यालय के अध्यादेश 60/61 के अनुसार लगाने का दायित्व अध्ययन केन्द्र का होगा। साथ ही इसकी सूचना विश्वविद्यालय सहित संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र व विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

(4) प्रवेशित विद्यार्थियों से सत्रीय उत्तरपुस्तिकाऐं निर्धारित समय सीमा में जमा करा कर क्षेत्रीय केन्द्र को भिजवाने का दायित्व भी अध्ययन केन्द्र का होगा।

(5) प्रवेशित विद्यार्थियों के लिये सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक सम्पर्क कक्षाओं तथा संत्रात परीक्षा के दौरान पूर्ण स्वच्छ, हवा, प्रकाश, जल, शौचालय (छात्र-छात्राओं का अलग अलग) एवं अन्य मूलभूत सुविधाऐं जो अध्ययन केन्द्र के लिये आवश्यक हो तो उपलब्ध कराने का दायित्व भी अध्ययन केन्द्र का होगा।

(6) अध्ययन केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष एवं मुख्य स्टाफ सदस्य जैसे समन्वयक, शिक्षकों, एक लिपिक आदि सभी को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदेय राशि का भुगतान विश्वविद्यालय के नियमानुसार किया जायेगा।

(7) अध्ययन केन्द्र विद्यार्थियों से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त अन्य कोई भी राशि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में प्राप्त नहीं करेगा।

(8) अध्ययन केन्द्र के लिए आंशिक अधोसंरचना फर्नीचर, कम्प्यूटर इत्यादि में जो व्यय होगा उसकी प्रतिपूर्ति प्रथम पक्षः विश्वविद्यालय द्वारा की जावेगी।

(9) महाविद्यालय में कुल पंजीकृत विद्यार्थियों से प्राप्त शुल्क का प्रोराटा के आधार पर 80 प्रतिशत विश्वविद्यालय में तथा 20 प्रतिशत महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति के एकाउंट में स्थानांतरित की जायेगी। इस राशि में सम्पर्क कक्षायें तथा परीक्षा संचालन शामिल है। जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र अध्ययन केन्द्र द्वारा विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा।

(10) जिन महाविद्यालयों में मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र स्थानांतरित/स्थापित किये जा रहें है उनकी सूची परिशिष्ट 01 में संलग्न है।

(11) किन्तु यह भी कि किसी महाविद्यालय केन्द्र में विद्यार्थियों का प्रवेश कम संख्या में होता है। तो ऐसी स्थिति में सम्पर्क कक्षाओं एवं परीक्षा संचालन के व्यय की राशि तथा शुल्क अशंदान की अन्तर राशि की प्रतिपूर्ति विश्वविद्यालय के द्वारा की जावेगी।

(12) अध्ययन केन्द्र के अस्तित्व एवं निरंतरता को बनाये रखने के लिये विद्यार्थियों के लिये उचित अध्ययन कक्षों, प्रयोगशालाओं एवं अन्य सुविधाओं को प्रदान करने का दायित्व अध्ययन केन्द्र का होगा।

(13) मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय द्वारा जो मुक्त शिक्षा के उद्देश्य एवं लक्ष्य की पूर्ति हेतु समय-समय पर आवश्यक आदेश/निर्देश/शर्ते जारी किये जाऐगें, उनका पालन करना अध्ययन केन्द्र का दायित्व होगा।

(14) मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय द्वारा गठित दल को अध्ययन केन्द्र द्वारा संचालित समस्त गतिविधियों सहित अभिलेखो एंव परीक्षा आदि के निरीक्षण में सहयोग करना अध्ययन केन्द्र का दायित्व होगा।

निम्नलिखित परिस्थितियों में विश्वविद्यालय को अध्ययन केन्द्र की मान्यता निरस्त करने का अधिकार रहेगा:-

1. अध्ययन केन्द्र मान्यता प्रावधानों के अनुरूप संचालित नहीं किया जा रहा हो।
2. अध्ययन केन्द्र में किसी भी प्रकार की अनियमितता या असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होने पर।

3. अध्ययन केन्द्र द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रवेशित विद्यार्थियों से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त कोई ऐसी राशि ली जा रही हो जो अनुबंध की शर्तो में विहित प्रावधानों के विपरीत हो।
4. विश्वविद्यालय के नियमानुसार सम्पर्क कक्षाओं का संचालन नहीं किया गया तो मान्यता निरस्त।
5. सत्रीय कार्य तथा सत्रांत परीक्षाओं का संचालन सुचारू रूप से नहीं किया जा रहा हो।
6. विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकृत विद्यार्थियों के लिये प्रदत्त अध्ययन सामग्री का नियमानुसार विद्यार्थियों में वितरण नहीं किया जा रहा हो।
7. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा हो।
8. अध्ययन केन्द्र द्वारा लेखा का संधारण विश्वविद्यालय नियमानुसार नहीं किया जा रहा हो।
9. ऐसी निजी संस्था जो समिति द्वारा संचालित है द्वारा अपनी मूल समिति को बिना विश्वविद्यालय की अनुमति के अन्य समिति में विलय कर देती है।
10. बिना किसी पूर्व सूचना एवं अनुमति के अध्ययन केन्द्र का स्थान परिवर्तन किये जाने पर।

उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त भी विश्वविद्यालय यदि किसी बिन्दु पर असंतुष्ट है तो मान्यता रद् कर सकता है किन्तु ऐसे किये जाने के पूर्व संबंधित संस्था को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा।

3. इस अनुबंध की तीन मूल प्रतियाँ हस्ताक्षर की जा रही है। जिसकी एक प्रति कुलसचिव, मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, कोलार रोड, भोपाल को दूसरी प्रति द्वितीय पक्षकार शास. निर्भय सिंह पटेल महाविद्यालय को एवं तृतीय प्रति क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर के अधिपत्य में संधारित की जा रही है जो कि समयानुसार कार्यवाही में उपयोग की जा सकेगी।
4. इस अनुबंध के प्रत्येक पृष्ठों पर दोनो पक्षकारो द्वारा हस्ताक्षर किये जा रहे है एवं किसी पृष्ठ में कोई काट–छाट नहीं है।
5. अध्ययन केन्द्रों के केन्द्राध्यक्ष/उपकेन्द्राध्यक्ष व अन्य नियुक्तियों को दिये जाने वाले मानदेय एवं अन्य संबंधित विषयों के निर्णय हेतु परीनियम 11 में दर्शायी गयी समिति अधिकृत होगी।

यह अनुबंध आज दिनांक .... को दोनो पक्षो की सहमति में पूर्ण होशोहवास में एवं गवाहो की उपस्थिति में किया जा रहा है एवं उक्त शर्तो को दोनो पक्षो द्वारा मान्य किया जा रहा है।

कुलसचिव
मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय,
भोपाल

कुलसचिव
म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय
भोपाल

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय
Principal
Govt. Nirbhay Singh Patel Science College
INDORE

गवाह

1. डॉ. अंजली नेमा
2. डॉ. शैलेन्द्र कोठरि

गवाह

1. ....
2. ....

Govt. Nirbhay Singh Patel Science College

BHOJ Study Centre

म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय

परिसर : राजाभोजमार्ग, चूनाभट्टी कोलार रोड, भोपाल– 462016
Madhya Pradesh Bhoj (Open) University
Campus : Raja Bhoj Marg, ChunaBhatti Kolar Road, Bhopal – 462016

Regional Director (Indore) Office
Inward No. 1727 Date 26/8/2023

क्रमांक. 4591 /मप्रभोमुविवि/2023 दिनांक 25/8/2023

प्रति,

समस्त क्षेत्रीय निदेशक
(भोपाल, होशंगाबाद, छिन्दवाड़ा, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, इंदौर, बड़वानी, ग्वालियर)
समस्त प्राचार्य/समन्वयक,
मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय,

विषय :– स्नातक प्रथम वर्ष (NEP) 2023 में प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा कार्य एवं परियोजना कार्य सम्पन्न कराने हेतु दिशा निर्देशः–

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि स्नातक प्रथम वर्ष (NEP) 2023 की दिनांक 28/8/2023 को सत्रांत परीक्षा सम्पन्न होगी परीक्षा समाप्ति के पश्चात प्रायोगिक परीक्षा कार्य एवं परियोजना कार्य समयावधि में सम्पन्न कराया जाना है। उक्त संबंध में आगामी कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश संलग्न कर प्रेषित है।

अतएव उक्तानुसार कार्यवाही सम्पन्न करना सुनिश्चित किया जाये, साथ ही म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के पत्र क्र. 72/188/सी.सी./21/अड़तीस दिनांक 2/02/2022 में जारी दिशा निर्देश का अवलोकन करें।
(माननीय कुलपति जी द्वारा अनुमोदित।)

संलग्न –उपरोक्तानुसार।

-sd-
कुलसचिव

पृ.क्र................/प्र.मू./मप्रभोमुविवि/2023 भोपाल, दिनांक . . 2023
प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव के माध्यम से कुलपति जी, म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कुलसचिव, म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक विद्यार्थी सहायता मप्रभोमुविवि, भोपाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. निदेशक अकादमिक शाखा, मप्रभोमुविवि, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. केन्द्रीय मूल्यांकन शाख प्रभारी, मप्रभोमुविवि, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

25/8/2023
प्रो. (डॉ.) एल.पी. झारिया
निदेशक, (प्र.मू.)

स्नातक प्रथम वर्ष (NEP) 2023 हेतु अध्ययन केन्द्रों के समन्वयकों हेतु प्रायोगिक परीक्षा हेतु दिशा निर्देश :–

म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय के अंतर्गत समस्त अध्ययन केन्द्रों/समस्त प्राचार्य/समन्वयकों एवं क्षेत्रीय निदेशकों को निर्देशित किया जाता है कि स्नातक प्रथम वर्ष (NEP) 2023 सत्रांत परीक्षा दिनांक 28/8/2023 को सम्पन्न होगी। केन्द्र के समन्वयक परीक्षा समाप्ति के पूर्व अपने–अपने अध्ययन केन्द्रों में प्रवेशित समस्त विद्यार्थियों को अवगत करायें कि उन्हें एक फील्ड प्रोजक्ट का चयन करना है। केन्द्र समन्वयक के साथ विषय चयन के उपरांत विद्यार्थी से एक परियोजना प्रतिवेदन (प्रोजेक्ट रिपोर्ट अध्ययन केन्द्र समन्वयक 05 सितम्बर 2023 तक प्रस्तुत करवायें। परियोजना रिपोर्ट का मूल्यांकन कार्य अध्ययन केन्द्रों में प्राचार्य/समन्वयकों द्वारा सम्पन्न कराया जाना है। फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, इंटर्नशिप व प्रायोगिक परीक्षा हेतु अंको का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है:–

1. मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा द्वारा प्रदत्त गाईड लाईन के आधार पर प्रायोगिक परीक्षा हेतु 100 अंकों का निर्धारण किया गया है।
   मुख्य Major, गौण Minor सामान्य वैकल्पिक (Generic Elective) के अतंर्गत अकों का विभाजन निम्नानुसार होगा:–
   - आंतरिक 30 अंक
   - प्रायोगिक कार्य 50 अंक
   - मौखिकी (Viva) 20 अंक

   योग (100 अंक)
2. **Project** के अंतर्गत आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन क्रमशः 50–50 अंकों का होगा। विवरण निम्नानुसार है:–
   (1) आंतरिक मूल्यांकनः– 50 अंक– (विद्यार्थी समूह द्वारा प्रस्तुत 3 लघु रिपोर्ट में से 2 श्रेष्ठ रिपोर्ट की आंतरिक मूल्यांकन हेतु गणना की जायेगी।)
   (2) बाह्य मूल्यांकनः– 30 अंक –अंतिम प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं प्रस्तुतिकरण (सामूहिक)
   20 अंक मौखिकी (Viva)
   उक्तानुसार कुल 100 अंक के होंगे।

25/8/23

---

3. **Internship, Apprenticeship** के अंतर्गत आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन क्रमशः 50–50 अंकों का होगा। विवरण निम्नानुसार है:–
   (1) आतंरिक मूल्यांकनः– 50 अंक – (संस्था/व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराये गये फीडबेक फार्म के आधार पर)
   (2) बाह्य मूल्यांकन :– 30 अंक– अंतिम प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं प्रस्तुतिकरण
   20 अंक– मौखिकी (Viva)
4. **Community engagement & Service** के अंतर्गत आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन क्रमशः 50–50 अंकों का होगा। विवरण निम्नानुसार है:–
   (1) आतंरिक मूल्यांकनः– 50 अंक (संस्था/व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराये गये फीडबेक फार्म के आधार पर)
   (2) बाह्य मूल्यांकन :– 30 अंक–अंतिम प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं प्रस्तुतिकरण
   20 अंक–मौखिकी (Viva)
5. **Vocational** के अंतर्गत आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन क्रमशः 50–50 अंकों का होगा। विवरण निम्नानुसार है:–
   (1) आतंरिक मूल्यांकन :–30 अंक– (प्रायोगिक रिकोर्ड)
   20 अंक–संपर्क कक्षाओं की अवधि में आंतरिक मूल्यांकन
   (2) बाह्य मूल्यांकन :– 40 अंक– निर्धारित सूची अनुसार (Listed) प्रायोगिक कार्य परीक्षा
   10 अंक मौखिकी (Viva)

- गाईड, बाह्य संस्था/व्यक्ति होने की स्थिति में बाह्य गाईड द्वारा आंतरिक अंक प्रदत्त नहीं किये जायेंगे। बाह्य गाईड द्वारा प्रदत्त अंको के आधार पर आंतरिक परीक्षक द्वारा आंतरिक अंक प्रदान किये जायेंगे।
- प्रायोगिक परीक्षा और इंटर्नशिप, फील्ड प्रोजेक्ट परियोजना प्रतिवेदन कार्य परीक्षा समाप्ति के पश्चात् एक सप्ताह के भीतर 04 सितम्बर 2023 तक अनिवार्यतः सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाना है।

25/8/2023
निदेशक
प्रवेश एवं मूल्यांकन

-sd-
कुलसचिव

म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय

परिसर : राजाभोजमार्ग, चूनाभट्टी कोलार रोड, भोपाल– 462016
Madhya Pradesh Bhoj (Open) University
Campus : Raja Bhoj Marg, ChunaBhatti Kolar Road, Bhopal – 462016

क्रमांक. 1379/मप्रभोमुविवि/2022 दिनांक 23/7/2022

प्रति,

समस्त क्षेत्रीय निदेशक,
एवं
समस्त प्राचार्य/समन्वयक अध्ययन केन्द्र (परीक्षा केन्द्र)
म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्याल, भोपाल

विषय :– सत्रांत परीक्षा 2022 में परीक्षा फार्म भरने से वंचित विद्यार्थियों के लिए एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से परीक्षा फार्म भरने की सूचना बावत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचित किया जाता है कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया है लेकिन अभी तक परीक्षा फार्म नहीं भर पाये हैं, उन विद्यार्थियों के लिए **एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से परीक्षा फार्म विलम्ब शुल्क सहित भरने हेतु दिनांक–30.07.2022 तक के लिए लिंक ओपन की गई है।** परीक्षा फार्म भरने से वंचित संबंधित विद्यार्थी उक्त तिथि के पूर्व अनिवार्य रूप से परीक्षा फार्म भरें, और परीक्षा फार्म भरने (शुल्क जमा करने की रसीद) की प्रतिलिपि के साथ (हार्डकापी के साथ) परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होंगे। परीक्षा फार्म (विलम्ब शुल्क के साथ) की प्रतिलिपि लाने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित किया जावे।

अतएव उक्त संबंध में अपने–अपने स्तर पर विद्यार्थियों को सूचित करें तथा तत्संबंध में परीक्षा केन्द्र के सूचना–पटल पर सूचना प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।

(डॉ. एल. एस. सोलंकी)
कुलसचिव

पृ.क्र................/प्र.मू./मप्रभोमुवि/2022 भोपाल, दिनांक . . 2022
प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव के माध्यम से माननीय कुलपति महोदय, मप्रभोमुविवि/भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निदेशक, विद्यार्थी सहायता, मप्रभोमुविवि, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. वित्त नियंत्रक/लेखा शाखा, मप्रभोमुविवि, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त निदेशक/विभागाध्यक्ष, मप्रभोमुविवि की ओर सूचनार्थ।
5. निदेशक, आई.टी. मप्रभोमुविवि की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. निदेशक, प्रवेश एवं मूल्यांकन, मप्रभोमुविवि की ओर सूचनार्थ।

(प्रो. (डॉ.) एल. पी. झारिया)
निदेशक (प्र.एवं मू.)

GPS Map Camera
Indore, Madhya Pradesh, India
MVVF+P6Q, Janki Nagar, Indore, Madhya Pradesh 452001, India
Lat 22.694543°
Long 75.873271°
12/05/23 02:11 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Indore, Madhya Pradesh, India
MVVF+P6Q, Janki Nagar, Indore, Madhya Pradesh 452001, India
Lat 22.694456°
Long 75.873268°
02/03/23 12:14 PM GMT +05:30
Google

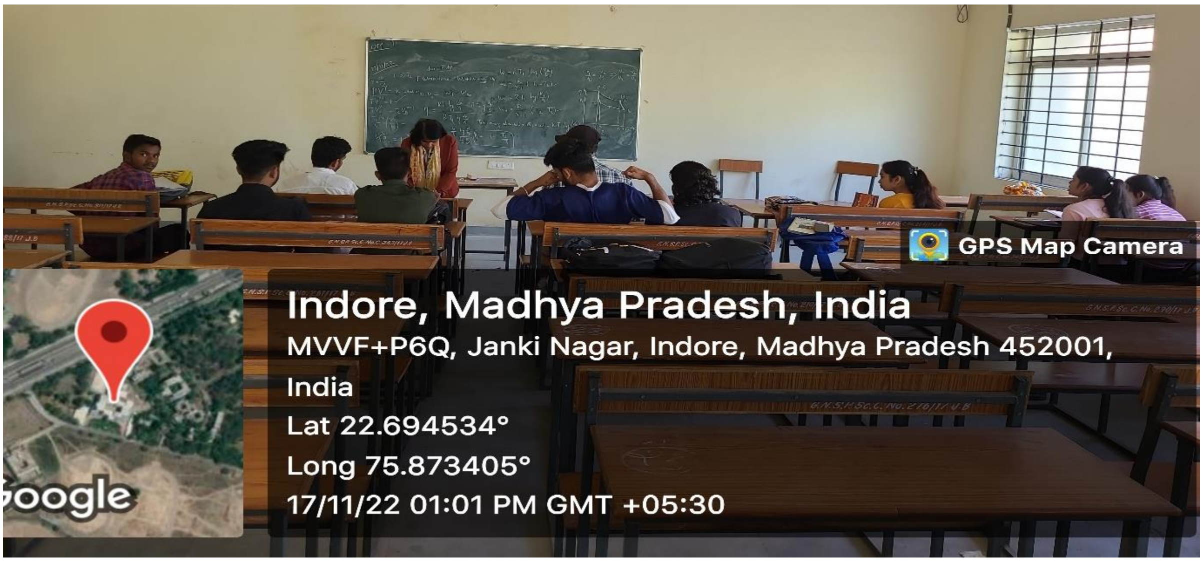
GPS Map Camera
Indore, Madhya Pradesh, India
MVVF+P6Q, Janki Nagar, Indore, Madhya Pradesh 452001, India
Lat 22.694534°
Long 75.873405°
17/11/22 01:01 PM GMT +05:30
Google